Admission and Fee Regulatory Committee
Government of Uttar Pradesh

Signature Not Verified
Digitally signed by FAZLUR RAHMAN KHAN
Date: 2018.08.15 10:40:09 +05:30
Reason: F.R.KHAN
Location: LUCKNOW

प्रवेश और फीस नियमन समिति उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश शासन
संख्या- 1019 / प्र0फी0नि0स0/2018
लखनऊः दिनांक 08 अगस्त, 2018
कार्यालय आदेश

358 - MODERN COLLEGE OF ENGINEERING, POST- KONCHABHAWAR JHANSI (DIPLOMA LEVEL INSTITUTE) निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय, आपके संस्थान द्वारा शैक्षिक सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 हेतु समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क को स्वीकार/अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं गयी, जो यह दर्शाता है कि संस्थान को मानक शुल्क स्वीकार्य है। अतएव आपके डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय संस्थान हेतु समिति की बैठक दिनांक 26.07.2018 एवं 27.07.2018 की सुनवाई में लिये गये निर्णयानुसार समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क शैक्षिक सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 हेतु अनुमन्य।

अधिनियम-2006 की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या-4781/ सोलह-1-2015-14(34)/2015 दिनांक 22.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली-2015 निर्गत की गयी है, जिसमें दिये गये प्राविधानानुसार निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों के शुल्क का निर्धारण किया जाना है।

2. उक्त विनियमावली-2015 के अनुपालन में समिति के आदेश संख्या-64/ प्र0फी0नि0स0/2018 दिनांक 19 जून, 2018 द्वारा निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों हेतु निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया गया हैः-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21
01	बी०टेक०	55000.00
02	बी०फार्मा०	63300.00
03	बी०आर्क०	57730.00
04	बी०एफ०ए०	85250.00
05	बी०एफ०ए०डी०	85250.00
06	बी०एच०एम०सी०टी०	70000.00
07	एम०बी०ए०	59700.00
08	एम०सी०ए०	55000.00
09	एम०फार्मा०	68750.00
10	एम०आर्क०	57500.00
11	एम०टेक०	57500.00

निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में दो (डी0फार्मा0 को छोड़कर) एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्कः-

> निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में तीन वर्षीय सभी पाठ्यक्रम एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम का शुल्क-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21
01	डिप्लोमा एण्ड इंजीनियरिंग	30150.00
02	डी०फार्मा०	45000.00
03	डी०आर्की०	30250.00
04	डी०एच०एम०सी०टी०	31300.00

> निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में दो (डी० फार्मा को छोड़कर) एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21
01	दो एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क (डी०फार्मा के अतिरिक्त)	रू० 22500.00

> सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्क-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21
01	समस्त पाठ्यक्रमों हेतु	रू० 19000.00

4. उक्त आदेश में ऐसी संस्थाओं को जो समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारित करवाना चाहती हैं, उन्हें अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव, लेखा विवरण एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों सहित समिति की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करते हुए उसकी एक प्रति समिति कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानक शुल्क को स्वीकार/अस्वीकार किये जाने का आवेदन समिति को उपलब्ध नहीं कराया गया एवं साथ ही मानक शुल्क के सम्बन्ध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गयी, जिससे यह दर्शाता है कि संस्थान को मानक शुल्क स्वीकार्य है। अतएव संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क ही शैक्षिक सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 हेतु प्रभावी होगा।

5. समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना समिति की अधिकृत वेब-साइट WWW.AFRCUP2018.IN पर प्रदर्शित है तथा संस्था द्वारा भी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब-साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

6. उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा-4 के अन्तर्गत गठित समिति के किसी आदेश के विरुद्व अपील के निस्तारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपील प्राधिकरण का गठन आदेश संख्या-3393/ सोलह-1-2009-5(डब्लू-48)/2003 दिनांक 14.10.2009 द्वारा किया जा चुका हैं।

एफ०आर०खान०
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कुल सचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
5. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. सम्बंधित जिलाधिकारी।
8. गार्ड फाइल।